



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1537 का 2026

झेलम सिंह

..... याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

..... याचिकाकर्तागण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : जिया लाल पटेल

उत्तरदातागण के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय नं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार,

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री जिया लाल पटेल और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री विवेक सिंह को सुना।
2. रिट याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे 27.09.1985 को इलाहाबाद मंडल विकास निगम लिमिटेड में ट्यूबवेल ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद इलाहाबाद मंडल विकास निगम लिमिटेड को भंग कर दिया गया और 11.11.1993 को कर्मचारियों को समायोजित करने और अन्य लाभ प्रदान करने के संबंध में एक नीतिगत निर्णय लिया गया। रिट याचिकाकर्ता का कहना यह है कि रिट याचिकाकर्ता को 26.11.2005 के आदेश के आधार पर 26.11.2005 को प्रतापगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी के रूप में उसकी सेवाएं शुरू होने पर, इलाहाबाद मंडल विकास निगम लिमिटेड, इलाहाबाद में की गई पिछली सेवाओं को उसकी वर्तमान सेवा अवधि में शामिल करते हुए उसे लाभ नहीं दिया जा रहा है, जबकि रिट याचिकाकर्ता 31.12.2009 को सेनानिवृत्त हो गया था।
3. वर्तमान रिट याचिका में खंड विकास अधिकारी, गुगरापुर, कन्नौज, उत्तरदाता संख्या 2 को पेंशन के निर्धारण, एसीपी और अन्य सेवा लाभों के लाभ और सेवाओं को जोड़ने के लिए निर्देश देने के लिए प्रार्थना की गई है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4. दूसरी ओर विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि रिट याचिकाकर्ता के दावे पर खंड विकास अधिकारी, गुगरापुर, कन्नौज, उत्तरदाता संख्या 2 द्वारा विचार किया जाएगा।

5. प्रतिवाद में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, यह रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि रिट याचिकाकर्ता, रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ दिनांक 05.03.2026 तक उत्तरदाता संख्या 2 के समक्ष एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिस पर उत्तरदाता संख्या 2,

आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से दो महीने की अवधि के भीतर विधि के पूर्णतः अनुरूप रहते हुए, याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करेगा।

फ़रवरी 4, 2026

एन.एस.राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार,)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"